यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सदस्य सचिव,राज्य खाद्य आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सदस्य सचिव,राज्य खाद्य आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून के माह 11/2017 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सीटी राम मीणा,वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री जितेन्द्र सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 04.01.2021 से 11.01.2021 तक श्री महेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकःइस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है ।

1. (i)**इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

खाद्य सुरक्षा कानून के अमल पर नजर रखना, राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों को सलाह देने और हक्दारियों के उल्लंघन की जाँच करना ।

जिला स्तरीय शिकायत निवारण अधिकारियों के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत खाद्यान्न, आंगनबाड़ी, एवं मध्यान्न भोजन से सम्बंधित शिकायतों पर सुनवाई करना ।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य ।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रुपये में)

वित्तीय वर्ष	प्रा. अवशेष	आवंटन	व्यय	अंतिम अवशेष
2017-18	--	5953000	5028688	924312
2018-19	--	8999000	5192135	3806865
2019-20	--	4064000	2405821	1658179
2020-21 12/2020 तक	--	1346000	1282582	63418

केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत, विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण-

वित्तीय वर्ष	प्रा. अवशेष	आवंटन	व्यय	अंतिम अवशेष
2017-18	**--**	**00**	**00**	**00**
2018-19	--	00	00	00
2019-20	--	00	00	00
2020-21 12/2020	--	00	00	00

(ii) इकाई "सी"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव खाद्य, उत्तराखण्ड शासन
2. अध्यक्ष,राज्य खाद्य आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून
3. (1) सदस्य सचिव, राज्य खाद्य आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून
4. (5) सदस्य राज्य खाद्य आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय सदस्य सचिव,राज्य खाद्य आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून**को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन**कार्यालय सदस्य सचिव,राज्य खाद्य आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून**की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2017 एवं 08/2019 को विस्तृत जांच हेतु तथा माह 02/2019 एवं 3/2020 को अंकगणितीय शुद्धता की जाँच हेतु चयनित किया गया।प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग II "अ"

प्रस्तर-01: उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना के उपबंधों की अवहेलना के कारण आयोग के गठन में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों का शून्य प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप इन वर्गों के व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जाना ।

उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2 संख्या 595/13-XIX-2/ 61 खाद्य / 2013 देहरादून दिनांक 21 अक्टूबर 2013, भाग दो के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार-राज्य खाद्य आयोग का गठन (धारा 16), राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के कार्यान्वयन का अनुश्रवण और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजनार्थ राज्य स्तर पर एक राज्य आयोग का गठन निम्नवत किया जायेगा; अर्थात- (क) एक अध्यक्ष; (ख) पांच सदस्य; (ग) एक सदस्य सचिव जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव पद से अन्यून हो; परन्तु यह कि न्यूनतम दो महिलायें या तो अध्यक्ष, सदस्य अथवा सदस्य सचिव नामित होंगी ।

परन्तु यह और कि एक अनुसूचित जाति से और एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से होगा, चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य अथवा सदस्य सचिव हो ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गयाकि,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के कार्यान्वयन का अनुश्रवण और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजनार्थ राज्य स्तर पर गठित आयोग के सदस्यों में न तो कोई महिला सदस्य पदस्थापित थी और न ही कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों का सदस्य पदस्थापित किया गया था ।

उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के कार्यान्वयन का अनुश्रवण और उसका पुनर्विलोकन करने के लिए आवश्यक सदस्यों के वर्गों का प्रतिनिधित्व, अधिसूचना के मानकों के अनुसार नहीं पाया गया ।

आगे जाँच में पाया गया कि, आयोग के वर्तमान पदस्थापित सदस्यों में अध्यक्ष सहित सभी सदस्य केवल सामान्य वर्ग से ही सम्बंधित थे ।

गठित आयोग के सदस्यों में न्यूनतम दो महिलायें, तथा एक सदस्य अनुसूचित जाति से और एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्गों से नहीं होने से जहाँ एक ओर इन वर्गों के व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया वहीं दूसरी ओर आयोग में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व शून्य होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के कार्यान्वयन का अनुश्रवण और उसका पुनर्विलोकन निष्पक्ष रूप से किये जाने पर प्रश्न चिन्ह भी लगता है ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि,आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों एवं सामान्य वर्ग के सदस्य सचिव की पदस्थापना उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित रीति व निति से की गई है । आगे यह भी कहा गया कि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के कार्यान्वयन का अनुश्रवण और उसका पुनर्विलोकन आयोग द्वारा सुचारू ढंग से किया जाता है ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि, आयोग के सदस्यों में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों का प्रतिनिधित्व शून्य होना जहाँ एक ओर उत्तराखण्ड सरकार की उपरोक्त अधिसूचनादिनांक 21 अक्टूबर 2013 के उपबंधों की अवहेलना की गई थी वहीं दूसरी ओर महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया था।

अतः उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना के उपबंधों की अवहेलना के कारण आयोग के गठन में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों का शून्य प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप इन वर्गों के व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग II "ब"

प्रस्तर-01आरोपित शास्ति की वसूली न किया जाना रु 16500/-

उत्तराखण्ड सरकारकी अधिसूचना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2 संख्या 595/13-XIX-2/61 खाद्य/2013, दिनांक 21.10.2013 के बिंदु संख्या 10 के अनुसार राज्य आयोग को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो किसी वाद का विचारण करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं। राज्य आयोग को यह अधिकार होगा कि न्यायधीश के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी वाद को अग्रसारित करे तथा न्यायधीश, अभियुक्त के विरुद्ध अग्रसारित की गयी शिकायत पर सुनवाई इस प्रकारकरेगा जैसे की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के 346 के अन्तर्गत अग्रसारित की गयी हो। साथ ही वे खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत किसी परिवाद में दोषी पाए जाने पर रु 5000/- से अनधिक की शास्ति आरोपित कर सकते हैं ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,की धारा33 के अन्तर्गत विभिन्न परिवादों को निपटारा करने के लिए अर्थदंड लगाए। इनमे से रु7500/- के अर्थदण्ड को लेखापरीक्षा अवधि तक वसूली नहीं की गयी थी ।

इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण मेंउत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग, देहरादून द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षाअधिनियम, की धारा 33 के अन्तर्गत अर्थदण्ड की धनराशि कुलरु9000/- सम्बंधित विभागों द्वाराउत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग के लेखाशीर्ष के बजाय अपने विभागीय लेखाशीर्ष में ही जमा कर दिया गया परन्तु खाद्य आयोग की उदासीनता के कारण इतनी ही धनराशि आयोग के लेखाशीर्ष में जमा नहीं की गयी। परिणाम स्वरूप रु 16500/- के अधिरोपित दण्ड की धनराशि की लेखापरीक्षा अवधि तक उपयुक्त लेखाशीर्ष में जमा नहीं किया गया था। उपरोक्त के सन्दर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने सूचित किया कि राज्य खाद्य आयोग द्वारा विभिन्न परिवादों पर अध्यावधि तक कुल रु 16500/- का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है जिसमे से रु 9000/- का अर्थदण्ड सम्बंधित विभाग द्वारा अपने विभागीय लेखाशीर्ष में जमा करा लिया गया है । शेष धनराशि रु 7500 का अर्थदण्ड अद्यावधि तक वसूल नहीं किया गया है क्योंकि राज्य खाद्य आयोग द्वारा शासन से उपरोक्त अर्थदण्ड जमा करने हेतु कई बार उपयुक्त लेखाशीर्ष उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक राज्य खाद्य आयोग द्वारा अध्यारोपित अर्थदण्ड जमा करने हेतु कोई

लेखाशीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है जिस कारण शेष धनराशि रु 7500/-अध्यावधि तक वसूल नहीं की जा सकी है.

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समस्त आरोपित अर्थदण्ड रु 16500/- की धनराशि राज्य खाद्य आयोग को समय से वसूल कर उपयुक्त लेखाशीर्ष में जमा की जानी चाहिए थी ।

अतः इकाई द्वारा रु 16500/- की धनराशि की आरोपित शास्ति को उचित लेखाशीर्ष में जमा ना किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञानमें लाया जाता है ।

भाग II "ब"

प्रस्तर-02 जिला शिकायत निवारण अधिकारीयों द्वारा प्रभावी तरीके के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रचार प्रसार नहीं किये जाने के कारण लाभार्थियों द्वारा योजना से सम्बंधित शिकायतों का सीधे ही खाद्य आयोग पहुँचाया जाना ।

उत्तराखण्ड सरकारकी अधिसूचना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2 संख्या 595/13-XIX-2/61 खाद्य/2013, दिनांक 21.10.2013 के बिंदु संख्या 13 के अनुसार जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के अध्याय 2 के अधीन हकदार को खाद्यान्नों या भोजनों के वितरण से सम्बंधित मामलों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए राज्य सरकार द्वारा इन हक्दारियों को प्रवृत्त करने, शिकायतों का अन्वेषण और निवारण करने हेतु प्रत्येक जिले के लिए एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की जानी प्रावधानित है ।इस कार्य हेतु सम्बंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि माह सितम्बर 2018 से दिसंबर 2020 तक जिला शिकायत निवारण तंत्र के तहत मुख्य विकास अधिकारी को प्राप्त शिकायतों की मासिक रिपोर्ट मात्र हरिद्वार, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौढ़ी गढ़वाल एवं रुद्रप्रयाग जिलों के आलावा अन्य जिलों से मासिक रिपोर्ट का प्रेषण नहीं किया जा रहा है।साथ ही जो मासिक रिपोर्ट राज्य के जिलो से प्राप्त हो रही है उसमे भी माहवार शिकायतों की प्राप्ति के रूप में शून्य प्राप्ति दर्शायी जा रही हैं।इससे प्रतीत होता है की राज्य के विभिन्न जनपदों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का उचित रूप में प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है तथा जिला शिकायत निवारण अधिकारी अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन उचित प्रकार से नहीं कर रहे हैं ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर उत्तर में इकाई ने बताया कि आयोग द्वारा अपने पत्रों के माध्यम से जिला शिकायत निवारण अधिकारीयों से माहवार रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया जाता रहा है किन्तु कुछ जनपदों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है भविष्य में आयोग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वे माहवार प्रत्येक जनपद रिपोर्ट प्रषित करें. आगे जिला शिकायत तंत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्रचार प्रसार हेतु किये गए प्रयासों के विषय में इकाई ने

अवगत कराया कि जिला शिकायत तंत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्रचार-प्रसार हेतु सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों से जनपद के सार्वजनिक स्थानों यथा ब्लॉक ऑफिस तहसीलों में आयोग के प्रचार प्रसार हेतु wall painting के माध्यम से किया जायेगा । आगे यह पूछे जाने पर की कितने जिलों से सम्बंधित मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किये गए तो इकाई ने सूचित किया कि कुछ जनपदों में इसके प्रचार प्रसार किये गए हैं तथा आयोग द्वारा भविष्य में यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा की योजना का प्रचार-प्रसार सभी जनपदों में कर लिया जाये।

अतः जिला शिकायत निवारण अधिकारीयों द्वारा प्रभावी तरीके के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रचार-प्रसार नहीं किये जाने के कारण लाभार्थियों द्वारा योजना से सम्बंधित शिकायतों का सीधे ही खाद्य आयोग पहुंचाए जाने काप्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-01: भुगतान किए गए वाउचरों की प्रविष्टियाँ रोकड़ पुस्तक में नहीं किया जाना धनराशि रुपये 2.49 **लाख ।**

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखंड शासन के पत्रांक 3/XXVII(6) / 2013 वित्त अनुभाग -6 दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिन्दु संख्या 4.9 के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से ekosh.uk.gov.in पर अपने Login ID से अपने देयकों की धनराशि संबंधितों के बैंक खातों में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान संबन्धित अभिलेखों यथा- 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान करेंगे ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि, माह 11/2017 के व्यय हेतु भुगतान किए गए रुपये 249719 के वाउचरों की प्रविष्टियाँ रोकड़ पुस्तक नहीं की गई थी ।

रुपये 249719 के वाउचरों की प्रविष्टियाँ रोकड़ पुस्तक नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप इतनी बड़ी धनराशि की गंभीर अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि, तत्समय कार्यरत श्री इक़बाल हसन द्वारा मोबाईल पर बताया गया कि, सदस्य सचिव के वेतन भत्तों की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की जाती थी ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि, प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखंड शासन के उपरोक्त शासनादेश के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से ekosh.uk.gov.in पर अपने Login ID से अपने देयकों की धनराशि संबंधितों के बैंक खातों में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान संबन्धित अभिलेखों यथा- 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान किया जाना निर्देशित किया गया था ।

अतः इकाई द्वारा भुगतान किए गए रुपये 249719 की धनराशि के वाउचरों की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में नहीं किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा	----	----

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालयप्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय सदस्य सचिव,राज्य खाद्य आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून** ।तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेःविगत लेखापरीक्षा के प्रस्तरों की आख्या**

2. **सतत् अनियमितताएः**---------- शून्य ----------
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा. सुचिस्मिता सेन गुप्ता पाण्डेय	सदस्य सचिव / आहरण एवं वितरण अधिकारी	01.11.17 से 01.06.20
2.	श्री तेजबल सिंह	सदस्य सचिव / आहरण एवं वितरण अधिकारी	01.06.20 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय सदस्य सचिव,राज्य खाद्य आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून** ।को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/एएमजी-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,महालेखाकार भवन,कौलागढ़, देहरादून- 248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-I